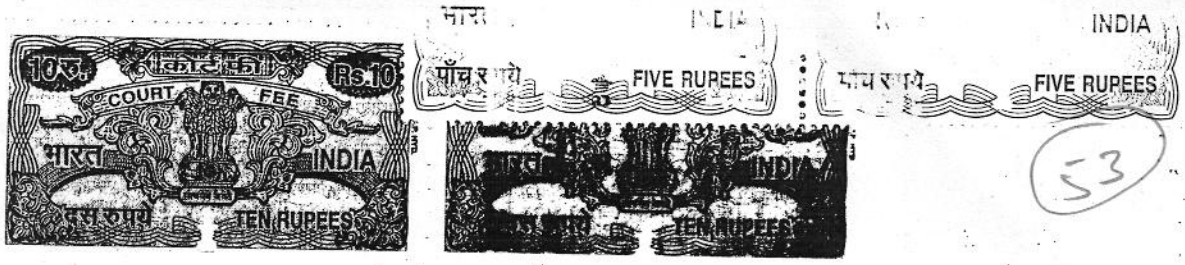

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA FIVE RUPEES

53

<u>माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प उज्जैन (म.प्र.)</u>

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी — 4075/2018/देवास/भू.रा.

मोहन सिंह पिता श्री राय सिंह, जाति राजपूत, उम्र 80 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी—ग्राम इलासखेड़ी तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.) ——प्रार्थी

विरूद्ध

गोकुल सिंह पिता श्री देवबक्ष, जाति दांगी, उम्र 70 वर्ष, धंधा कृषि, निवासी—ग्राम इलासखेड़ी तहसील टोंकखूर्द जिला देवास (म.प्र.)

———प्रतिप्रार्थी

<u>विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील सोनकच्छ जिला देवास (म.प्र.) के संबंधित प्रकरण क्रमांक 84/2017—18 अपील में प्रदत्त आदेश दिनांक 11/05/2018 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।</u>

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित आधार पर निगरानी सादर प्रस्तुत हैं :—

01. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश विधि—विधान एवं तथ्यों के विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है।

02. यह कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 48 म.प्र. भू—राजस्व संहिता को निरस्त करने में वैधानिक भूल की है।

03. यह कि, प्रतिप्रार्थी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में एक अपील प्रस्तुत की थी जिसके साथ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

53

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4075/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.एस. राणावत उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	